FORM No. III

Crime-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत...सहायक कलक्ट्रर. मुकाम....खींवसर...

बाबुलाल बनाम ढगलाराम

किस्म मुकदमा...प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मु. नं 170 सन्..2020.

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम की तामील में जारी हुए
	24.07.2020	
	प्रार्थी ने जरीये वकील अप्रार्थीगण के विरूद्व **किस्म मुकदमा...प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**के तहत प्रस्तुत किया जो दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरीये रजिस्ट्रेड नोटिस से तलब किया जावे एवं साथ ही तहसीलदार खींवसर को जाचं रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी हो। मिशल वास्ते जबाव हेतु दिनांक 05.08.2020 को पेश हो । [signature] उपखण्ड अधिकारी खींवसर	
5/8/20	पक्षकार /पक्षकारान व अधिवक्ता उपस्थित पीठासीन अधिकारी ... में / भ्रमण / ...काश पर गये हुए / स्थानान्तरण हो चुके हैं। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक 10/8/20 को प्रस्तुत हो।	
	10.8.20 पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसील से रिपोर्ट प्राप्त, अप्रार्थी को नोटिस तामील [illegible] तामील प्राप्त नहीं, पु. [illegible] पेश होने पर प्रार्थी पत्रावली दिनांक 18.8.20 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी खींवसर	

2023.01.04

FORM No. III

Crime-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत...सहायक कलक्ट्र. मुकाम....खींवसर...

कस्म मुकदमा...प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 अ आर.टी.एक्ट

बाबुलाल बनाम ढगलाराम

मु. नं 170 सन्..2022.

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम की तामील में जारी हुए
	12.11	

पत्रावली आज पेश हुई । राजपेरोकार एवं वकील प्रार्थी उपस्थित । राजपेरोकार/तहसीलदार खींवसर ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 229 बाबत् आवेदन प्रस्तुत करने पर आज पत्रावली पेश हुई उक्त प्रकरण में पूर्व में दिनांक 29.01.2021 को निर्णय हो चुका है इस निर्णय दिनांक 29.01.2021 में प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 अ आरटीएक्ट को स्वीकार करते हुए प्रार्थीगण के द्वारा चाहा गया रास्ता मौजा चरड़ा के खसरा नबंर 7 रकबा 05.04 बीघा व खसरा नबंर 7/238 रकबा 05.04 बीघा मे आने जाने हेतु खसरा नबंर 19 रकबा 05.00 बीघा के उतरी सींव व खसर नबंर 18/198 के उतरी सींव से होते हुए नजरी नक्शा में मार्क ए से बी अनुसार 15 फुट चौड़ाई में रास्ता घोषित किया गया था जिसकी प्रतिकर राशि 63793/– हुई थी।

उक्त आदेश की पालना के प्रत्यूतर में तहसीलदार खींवसर ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 229 बाबत् न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश निर्णय दिनांक 29.01.2021 का पुनरावलोकन करने बाबत् पेश कर निवेदन किया की खसरा नबंर 18/198 की किस्म भूमि गै.मु. ओरण है ओरण किस्म की भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि है एवं ऐसी भूमि में से कोई रास्ता अनुज्ञात नहीं किया जा सकता हैं।

विषयक प्रकरण में परिपत्र दिनांक 14.06.2013 राजकीय भूमि में से रास्ता अनुज्ञात किए जाने के सबंध में अवश्य है मगर इस परिपत्र के अनुसार राजकीय भूमि में से अनुज्ञात रास्ते की भूमि को राजस्व रिकार्ड में रास्ते के रूप में अभिलिखित करना है जबकि गै.मु. ओरण किस्म की भूमि की किस्म परिवर्तन किसी भी प्रकार से सभंव नहीं है अतः प्रकरण सदर में पारित आदेश दिनांक 29.01.2021 का पुनरावलोकन फरमाकर पुनः विधि अनुसार आदेश पारित करवाने का श्रम करवावें।

(उपखण्ड अधिकारी)
खींवसर

2023.01.04

प्रकरण पुनः दर्ज कर प्रार्थीगण को तलब किया गया । प्रार्थीगण की तरफ से विद्वान अधिवक्ता श्री मूलसिह राठौड उपस्थित हुए। उक्त प्रकरण में तहसीलदार खींवसर एवं विद्वान अधिवक्ता श्री मूलसिंह राठौड को सुना गया ।

तहसीलदार खींवसर ने अपनी बहस में कथन किया की उक्त आदेश में प्रार्थीगण को रास्ता दिये जाने के आदेश खसरा नबर 18/198 में से किया गया है उक्त खसरा नबर 18/198 की किस्म गै.मु. ओरण है जो धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित है इसलिए उक्त किस्म की भूमि में से रास्ता नहीं दिया जा सकता हैं ।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया की श्रीमानजी के आदेशानुसार हमारे द्वारा चाहा गया रास्ता घोषित होने पर हमने इस रास्ते में प्रभावित होने वाले रकबे की प्रतिकर राशि 63,793/–रूपये तहसील कार्यालय खींवसर में जमा करवाये जा चुके है। इसलिए पूर्व आदेश दिनांक 29.01.2021 को यथावत रखा जावें। फिर भी श्रीमानजी के द्वारा उक्त आदेश में सशोंधन किया जाता है तो पूर्व आदेश दिनांक 29.01.2021 में खसरा नबंर 19 में से दिया गया रास्ता को यथावत रखते हुए सशोंधन किया जाने का श्रम करावें।

उपस्थित उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर मौजुद रेकर्ड का गहनता पूर्वक अध्ययन किया गया । बहस पर मनन एवं रेकर्ड का अवलोकन से यह स्पष्ट होता की प्रार्थीगण को खसरा नबंर 18/198 किस्म भूमि गे.मु. औरण में से दिया गया रास्ता सहवन से हुआ है जिसमें सशोंधन किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः तहसीलदार खींवसर का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 229 बाबत् पुनरावालोकन को स्वीकार किया जाता है तथा न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 29.01.2021 में यह संशोधन किया जाता है कि खसरा नबंर 7 में आने जाने हेतु खसरा नबंर 19 में से जारी किया गया रास्ता यथावत रहेगा तथा खसरा नबंर 18/198 जिसकी किस्म ओरण है उक्त रास्ता को निरस्त किया जाता है तथा उक्त भूमि सरकारी एवं ओरण की होने से मौके पर खाली है इसलिए प्रार्थीगण को सरकारी भूमि से आवागमन से कोई पाबंन्दी नहीं है एवं आवागमन किया जा सकता हैं । तहसीलदार खींवसर को निर्देशित किया जाता है की इसी संशोधन आदेश के अनुसार रास्ते को राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें।

(उपखण्ड अधिकारी)
खींवसर

नोटः– उपरोक्त खसरान की भूमि किसी भी बैंक में रहन है तो रहन मुक्त होने तक रहन यथावत रहेगी, तथा उपरोक्त खसरान पर किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्त आदेश की पालना कर अवगत करावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगें।

डॉ. धीरज कुमार सिंह IAS
(उपखण्ड अधिकारी)
खींवसर

उक्त आदेश आज दिनाक 19.12.2022 को सरेइजलास सुनाया गया ।

(उपखण्ड अधिकारी)
खींवसर